

# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1587 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026

रायपुर, दिनांक: 25 सितम्बर 2026

## // सूचना //

### प्रवेश वर्ष 2026 – स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम (BPT) के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन संबंधी

प्रवेश वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम (BPT) में प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन आमंत्रित किए जाते हैं।

स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम (BPT) में प्रवेश हेतु NEET में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, तथा इस पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम अहर्ताकारी अंक (Minimum Qualifying Marks) नहीं है :-

#### \*ऑन-लाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable) :-

1. अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु – रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र)
2. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हेतु – रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र)
3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु – रु. 10000/- (रु. दस हजार मात्र)

प्रथम चरण के ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन की समय-सारिणी

| क्र. | प्रक्रिया का विवरण                                                              | निर्धारित तिथि एवं समय                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ऑन-लाईन आवेदन की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि                                         | दिनांक 28 सितम्बर 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 04 अक्टूबर 2026, समय Server Time 14:00 Hrs (02:00 PM) तक |
| 2.   | च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking) की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि | दिनांक 28 सितम्बर 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 04 अक्टूबर 2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक |

#### ऑन-लाईन पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी :-

1. ऑन-लाईन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का पूर्णतः अध्ययन कर ले, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड/सीट परित्याग/ दिव्यांगजन/अन्य संवर्ग इत्यादि।

क्रमश—2—

//2//

2. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Edit करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (एनट्री) जो कि केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे आती हैं, उन प्रविष्टियों सहित आवेदक का स्वयं प्रविष्ट किया गया मोबाईल नम्बर, ई-मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।
3. काउंसिलिंग संबंधी सूचना जारी होने के पश्चात संवीक्षा एवं प्रवेश हेतु कम समय की संभावना बनी रहती है, अतः नियमित वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) एवं <https://cgdme.admissions.nic.in/> का अवलोकन करें एवं समस्त दस्तावेजों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया देखें, स्नातक प्रवेश नियम 2025 के नियम 7 (viii) का अवलोकन करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2025 के नियम 7(xx) )।
4. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना, एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
5. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Card / Credit Card के विकल्प उपलब्ध है।

नोट :-

1. प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु, "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025" का अवलोकन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, काउंसिलिंग, आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) का नियमित अवलोकन करते रहें।
3. समस्त शासकीय एवं निजी फिजियोथैरेपी महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।  
(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.